INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

399473

122

बैनामा

बिकी	–	3,15,370/–
मालियत	–	37,240/–
देय स्टाम्प	–	25,300/

लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण

1. भूमि का प्रकार	:	कृषि
2. परगना व तहसील	:	मोहन लाल गंज
3. स्थित ग्राम	:	सोनई कजेंहरा
4. सम्पत्ति का विवरण	:	खसरा नं0 11ख कुल रकबा 0.2660हे0 का 1/2 भाग यानी विकीत रकबा 0.133हे0

आदर्श कोषागार, लखनऊ

दिनांक 26-6-07

मूल्य 25000 स्टाम्प

नाम

द्वारा

स० रोकड़िया

मुख्य रोकड़िया

315370 ... 372472

5220 + ... 5220

[illegible]

3-6-07

3-6-07

315370

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये **Rs. 100**

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH G 620752

TRY. LKO. 26 JUN

3

प्रथम पक्ष की संख्या --02	द्वितीय पक्ष की संख्या --01
विक्रेतागण का विवरण	क्रेता का विवरण
मंगल पुत्र--स्व0हुबलाल व राजाराम पुत्र हुबलाल, निवासी--सोनई कजेंहरा पर0 व तह0--मोहन लाल गंज जिला--लखनऊ	धर्मेन्द्र पुत्र -- श्री जयराम कोरी निवासी--ग्राम मिर्जापुर मिठारी पो0 नौगांव तह0 व जिला--फतेहपुर

विक्रय--पत्र

मनकि हम विक्रेतागण मंगल पुत्र स्व0 हुबलाल व राजाराम पुत्र स्व0 हुबलाल,समस्त निवासीगण--सोनई कजेंहरा, पर0 व तह0--मोहन लाल गंज जिला--लखनऊ का हूँ (विक्रेतागण)। हमारी आराजी खसरा नं0 11ख कुल रकबा 0.2660हे0 का 1/2 भाग यानी विक्रीत रकबा 0.133हे0 स्थित ग्राम सोनई कजेंहरा परगना व तहसील -- मोहन लाल गंज जनपद लखनऊ का मालिक कामिल व काबिज है।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 620753

4

तथा उपरोक्त सत्यापित षटवार्षिक खतौनी कम सं0 00377 के अनुसार विकेता का नाम संकमणीय भूमिधर के नाम से दर्ज है। उक्त भूमि विकेतागणों की पैत्रक सम्पत्ति है।और विकेतागण को वरासतन प्राप्त हुई है। विकेतागण व केता अनुसूचित जाति के हैं। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों सकमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। जो कि समस्त प्रकार के ऋण, भार व विवाद से पाक व साफ है। विकयशुदा भूमि पर कोई पेड़, नहीं तथा नलकूप नहीं है। विक्रीत भूमि सड़क से 200मी0 से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रीत भूमि राजमार्ग, लिंकमार्ग, व खण्डजा के किनारे स्थित नहीं हैं। विक्रीत भूमि सामान्य ग्राम के अर्न्तगत कृषि योग्य भूमि है। जो कृषि प्रयोग हेतु कय की जा रही है। उक्त भूमि हर प्रकार के विवादों, भारों , अजकिस्म, रेहान , बन्धक, इकरार , कुर्की , जमानत, हिबा, आदि से पूर्णतया पाक साफ है। जिसको विकय करने का पूर्ण मालिकाना अधिकार मैं विकेतागणों को प्राप्त है। चूकि हम लोगों को रूपयों की आवश्यकता है। अतः अपनी रजामन्दी से बिना जोरदबाव नजायज के बजरूरत होशो हवास में उपरोक्त आराजी नम्बरी व पैमाइशी को बकिमती मूल्य रूपयें 3,15,370/–(रू0 तीन लाख पन्द्रह तीन सौ सत्तर रू0 मात्र) जिसके आधे 1,57,385/–होते है।

मंगल

नारायण

बरम-5

बदस्त धमेन्द्र पुत्र श्री जयराम कोरी निवासीग्राम — मिर्जापुर भिठारी पो0 नौगांव तह0 व जिला—फतेहपुर को विक्रय कर दिया है। और कब्जा व दखल मालिकाना आज की तारीख से करा दिया अब हमारा विक्रीत अराजी से कोई वास्ता सरोकार नहीं रहा क्रेता उक्त भूमि की दाखिल खारिज में अपना नाम करवा लेवे । इसमें मुझको या मेरे वारिसानों को कोई उज्र न है और न कभी भविष्य में होगा । और अगर किसी व्यक्ति की दावेदारी की या उज्रदारी या हकदारी से विक्रीत का कुल जुज भाग क्रेता उपरोक्त के कब्जे से किसी भी समय निकल या कब्जा न मिले , मिल्कियत या हकीयत विक्रेता की करार न पाई जाय या अन्य किसी प्रकार से उपरोक्त भूमि के कागजात विवादित अथवा भाग ग्रसित निकले तो ऐसी तमाम सूरतों में क्रेता उपरोक्त को हक व अधिकार होगा कि वह अपने द्वारा दिया गया कुल रूपया मय हर्जा—खर्चा व नुकसान सहित मुझसे व मेरे वारिसानों व कायम मुकामान की अन्य चल व अचल सम्पत्ति से न्यायालय द्वारा वसूल कर लेवे। विक्रेता कोई मुकाम उज्र का न होगा। और भूमि आज की तारीख से क्रेता उपरोक्त को अधिकार होगा कि वह उपरोक्त विक्रीत भूमि को समस्त सरकारी अभिलेखों में जहां समझे अपने नाम दर्ज करा लेवे विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी। विक्रीत भूमि किसी राष्ट्रीय मार्ग ,जनपदीय मार्ग, लिंकमार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि मुख्य मार्ग सुल्तानपुर रोड व अमर शहीद पथ से लगभग 200मी0 से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रीत भूमि में कोई पेड़, कुआ या इमारत आदि नहीं है। इस भूमि पर ट्यूबवेल/नलकूप नहीं है। विक्रीत भूमि ग्राम सोनई कजेहरा पर0 व तह0 मोहन लाल गंज जिला लखनऊ में स्थित है। विक्रीत भूमि का कुल क्षे0 0.133हे0 है। जोकि श्रीमान जिलाधिकारी महोदय द्वारा जारी नियमित सर्किल रेट से बजारू मूल्य रू0 2,80,000/रू0— प्रति हे0 की दर से निर्धारित है। जिसके अनुसार विक्रीत भूमि की कुल बजारू मालियत 37,240/—रू0 होती है। चूकिं विक्रय मूल्य मालियत से ज्यादा है इसिलिये विक्रय मूल्य पर नियमानुसार 8 प्रतिशत की दर से रू0 25,300/— के जनरल स्टाम्प अदा किये जा रहे है। क्रेता व विक्रेतागणों के मध्य पूर्व में कोई इकरार नामा बय पंजीकृत नहीं किया गया है उक्त भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं है। विक्रेता व क्रेता का स्थायी पता उपरोक्तानुसार है। विक्रीत भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण या उ0प्र0 आवास विकास परिषद की किसी भी योजना में अधिग्रहीत नहीं की गई है। लिहाजा यह बैनामा रूबरू गवाहन खूब सोच समझकर बिना किसी जोर जबरदस्ती व स्वस्थ मस्तिष्क के निष्पादित कर दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत में काम आवे तथा क्रेता ने भी अपने हस्ताक्षर करके बैनामा का निष्पादन किया।

विवरण भूमि बिकीशुदा

आराजी खसरा नं0 11ख कुल रकबा 0.2660है0 का 1/2 भाग यानी विकीत रकबा 0.133है0 स्थित ग्राम सोनई कजेंहरा परगना व तहसील – मोहन लाल गंज जनपद लखनऊ

तफसील वसूलयाबी जरसमन

कुल विकीत मूल्य रूपया 1,57,685/–(रू0 एक लाख सत्तावन हजार छह सौ पच्चासी रू0 मात्र) विकेता ने केता से चेक सं0......589520...... दिनाकिंत 30/06/07 पंजाब नेशनल बैंक शाख हजरत गंज लखनऊ
कुल विकीत मूल्य रूपया 1,57,685/–(रू0 एक लाख सत्तावन हजार छह सौ पच्चासी रू0 मात्र) विकेता ने केता से चेक सं0......589521...... दिनाकिंत 30/06/07 पंजाब नेशनल बैंक शाख हजरत गंज लखनऊ द्वारा प्राप्त कर लिया है। कोई भी धन राशि विकीत अराजी से सम्बन्धित केता से पाना शेष नहीं है।

लखनऊ
दिनांक 30/06/07

ह0 विकेता

विकेता की पहचान के लिए
गवाह नं. 1 दिनेश कुमार
सोनई कजेंहरा
लखनऊ

केता की पहचान के लिए
गवाह नं 2 पंकज पाठक
S/o - हरिशंकर पाठक
... लखनऊ

ह0केता

टाईपकर्ताः
Manish
(मनीष सिंह)
तह0 मोहनलालगंज, लखनऊ

मसविदाकर्ताः
(श्री धीरेन्द्र श्रीवास्तव)
एडवोकेट।

रजिस्ट्रेशन अधिनियम - 1908 की धारा 32 - ए, के अनुपालन हेतु

फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता:······[illegible]

······[illegible]

बायें हाथ की अगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

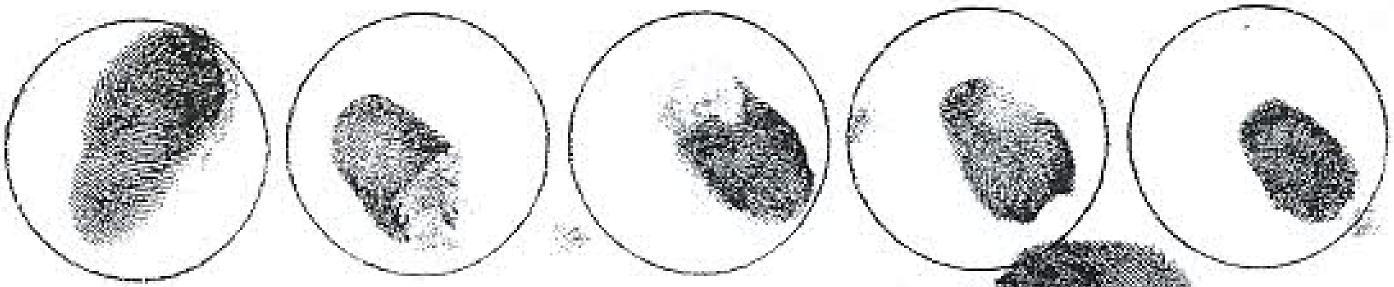

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता/क्रेता का नाम व पता:······[illegible]

······[illegible]

बायें हाथ के अगुलियों के चिन्ह :-

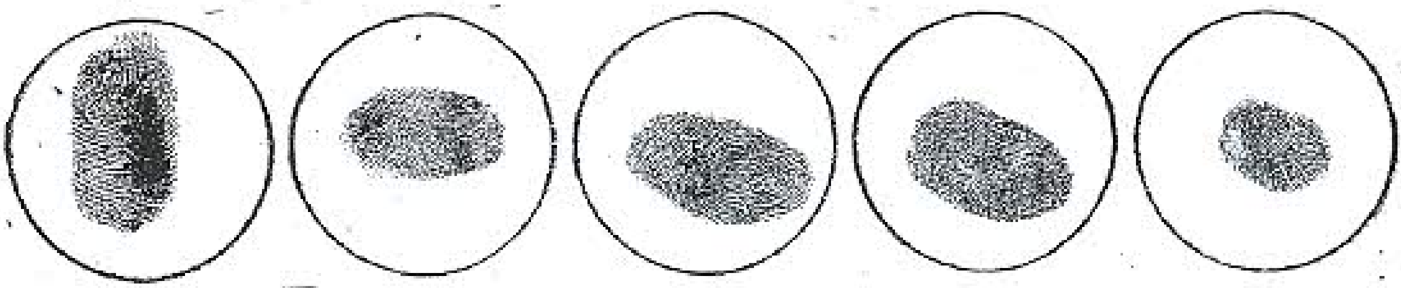

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

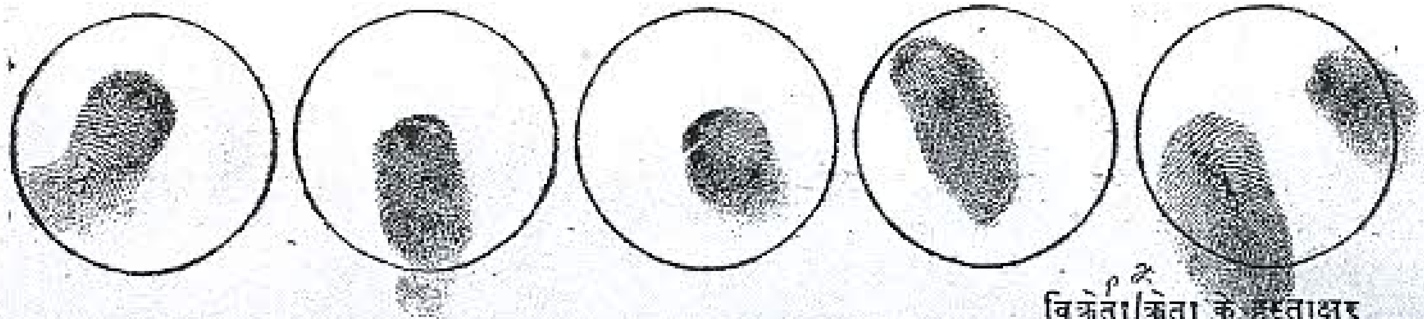

विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

[illegible]

रजिस्ट्रेशन अधिनियम- 1908 की धारा 32- ए, के अनुपालन हेतु

फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता: [illegible] पुत्र [illegible] कोरी निवासी [illegible], फतेहपुर

बाये हाथ की अगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता/क्रेता का नाम व पता:- [illegible]

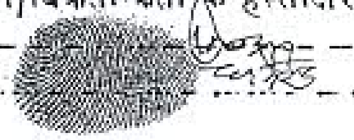

बाये हाथ के अगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

को फोटो स्टेट प्रति

किया गया।

[illegible]

प्रयागराज